



उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 2/2026/1/1403084/2026/27-1001(001)/1/2025
लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2026

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० सिविल संवर्ग के श्री रमेश चन्द्र वर्मा, नवप्रोन्नत प्रमुख अभियन्ता (सिविल) को प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भाष्कर पाण्डेय
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ०प्र०।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।